तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी
	न्याय आपके द्वार अभियान - 2017	
9.5.17	पत्रावली कैम्प कोर्ट सामोदा में पेश हुयी अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोराखड़ी के खाता संख्या 170/157 किता 2 रकबा (0.06), 325/295 किता 3 रकबा (0.21), 326/ 296 किता 3 रकबा (0.83), 347/315 किता 4 (1.19), 348/316 किता 3 (1.75), 349/317 किता 1 रकबा 0.16, 338/157 किता 4 रकबा 1.70, 296/251 किता 3 रकबा 0.83 व ख. नं. 678/2536 रकबा 0.07 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है जिसका सिविल विभाजन नहीं हुआ है। अतः वादग्रस्त आराजी का सिविल विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को दखल करवाने निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे बाद विभाजन के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद में संशोधन कर निवेदन किया कि मोतीलाल उर्फ रामेश्वर पुत्र मोहन उर्फ ~~नान्नु~~ पान्नु जाति जाट एक ही व्यक्ति है इनके पिता मोहन उर्फ पान्नु भी एक ही व्यक्ति थे अतः उनकी दर्शाता सम्पत्ति का खातेदार पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ...	रामेश्वर

14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
रामकुमार	हिदेनुसार वादी का खारिज किया जावे। प्रतिवादी 1 से 3 व 7 से 8 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी ने अपने वाद में स्पष्ट नहीं किया है कि किस खातेदार का कितना हिस्सा दर्ज है। कदडाल आराजी का विभाजन पूर्व में हो चुका है। वादी ने अपना नाम मोतीलाल उर्फ राधेश्याम गलत रूप से मात्र हडपने के लिये वर्णित किया है व पिता का नाम पोलू उर्फ मोलू को गलत अंकित किया है प्रतिवादी 6 का कुल आराजी में पांचू के साथ बराबर खाता हिस्सा निहित है जो वादी द्वारा वाद में स्पष्ट नहीं किया है अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। वादग्रस्त आराजी कुछ खातों में पांचू पुत्र हरलाल के नाम, कुछ खातों में मोतीलाल वगैरह पि. मोलू के नाम, राधेश्याम वगैरह पि. पांचू के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि उसको व उसके पिता दोनों के दो नाम से जाना जाता है किन्तु इसके समर्थन में वादी द्वारा ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है प्रतिवादीगण द्वारा भी पीठासीन अधिकारी ~~लोक अदालत~~ / कैम्प कोर्ट [illegible]	

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.................................मुकाम.................................

.................................बनाम.................................

किस्म मुकदमा.................................नं.................................सन.........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी के कथनों का खण्डन किया है। वादी [illegible] क्रमांक दोनों की भूमि पर हक जताना चाहता है जो लिखित दस्तावेज के अभाव मे संभव नहीं है। उक्त आराजी पर हक व अधिकार के अभाव मे वादी विभाजन प्राप्ति का भी अधिकारी नहीं है। अतः ग्राम [illegible] की वादग्रस्त आराजी पर वादी का वाद "खारिज" किया जाता है पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आदेश की पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के बाद हो व दाखिल दफ्तर हो। पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट [illegible]	